211

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0 निग0 2754-I/16

श्री ... अधिवक्ता द्वारा आज दि. 16/8/16 को प्रस्तुत

श्रीमती अशोक कुमारी पत्नि जगतराज पटैल ,उम्र 45 साल

निवासी- ग्राम कठवरिया, तहसील गुनौर, जिला पन्ना म0प्र0

...... आवेदिका

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन द्वारा-

तहसीलदार गुनौर, जिला पन्ना म0प्र0 ...... अनावेदक.

निग0प्र0क्र0- सा0प्रस्तुति-

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता. 1959

यह निगरानी, रा0 प्र0 क्र0- 143/बी-121/वर्ष 2015-16 में दिये गये प्रतिवेदन - 1712/रीडर/2016 में दिया गया प्रतिवेदन दिनांक- 27.07.2016 जिसमें तहसीलदार गुनौर ने आवेदिका के भूस्वामी स्वत्व व कब्जे की आराजी का 0.08 आरे रकबा सड़क में शामिल किए जाने का अवैध प्रतिवेदन/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है :-

आवेदिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत करती है :-

।। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ।।

1. यह कि, आवेदिका ग्राम कठवरिया ,तहसील गुनौर,जिला पन्ना स्थित आराजी नं0-171 रकबा 0.696 हे0 एवं आराजी नं0-172 रकबा- 0.049 हे0 की भूस्वामी व मालिक है। इस आराजी को आवेदिकाने जरिये रजिस्ट्री बैनामा वर्ष 1999 को श्यामसुन्दर तनय रघुनन्दन से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था व खरीद दिनांक से मालिक काबिज है ।

2. यहकि, बन्दोबस्त 1982-83 में बंदोबस्त के दौरान उक्त पुराने आराजी नं0-171 से नया नं0-493 रकबा 0.540 हे0 बनाया गया , एवं आराजी नं0-172 से नया नं0-494 रकबा 0.030 हे0 बनाया गया था।इस

...2.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2754–एक/16 जिला - पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.8.16	आवेदक के अधिवकता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने। 2– यह निगरानी आवेदन पत्र राजस्व प्रकरण कमांक 143/बी–121/2015–16 में प्रस्तुत प्रतिवेदन 1712/रीडर/2016 दिनांक 27–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है. 3– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 171 रकबा 0.696 है0 एवं सर्वे कमांक 172 रकबा 0.049 है0 स्थित ग्राम कठवरिया, तहसील गुनौर जिला पन्ना के सम्बन्ध में विवादित प्रतिवेदन द्वारा उक्त भूमि को रास्ते के रूप में शामिल किये जाने तथा तदनुसार उक्त भूमि पर मध्यप्रदेश शासन के नाम की प्रविष्टि किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है. तहसीलदार गुनौर की उक्त कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है. आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि आवेदिका द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र के जर्ये वर्ष 1999 में पूर्व भूमिस्वामी श्यामसुन्दर तनय रघुनन्दन से कय की थी तथा कय करने के दिनांक से आवेदिका ही उक्त भूमि की भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है. बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान उक्त पुराने आराजी कमांक 171 से नया आराजी 493 रकबा 0.540 है0 बनाया गया एवं आराजी कमांक 172 से नया आराजी 494 रकबा 0.030 है0 बनाया गया था. बन्दोबस्त	

की कार्यवाही में निर्मित आराजी कमांक 494 का रकबा 0.16 है0 एवं आराजी कमांक 494 का रकबा 0.01 है0 कम कर दिया गया था व नक्शों में तदनुसार कमी कर दी गयी तथा कम किये गये भाग पर तथाकथित रूप से मध्यप्रदेश शासन के नाम की प्रविष्टि कर दी गयी. आवेदिका ने उपरोक्त त्रुटि को सुधारने हेतु संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार गुनौर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हूए तहसील न्यायालय ने बन्दोबस्त के पूर्व एवं बाद के अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि आवेदिका की भूमि का रकबा कम किया गया है और उक्त भूमि को तथाकथित रूप से मध्यप्रदेश शासन सडक की भूमि आराजी कमांक 383 में शामिल किया जाना पाया गया तथा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु अपना प्रतिवेदन दिनांक 17–2–2014 को अपर कलेक्टर जिला पन्ना को भेजा गया। अपर कलेक्टर जिला–पन्ना द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए तथा आवेदिका द्वारा उनके समक्ष नक्शा सुधार हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए राजस्व प्रकरण कमांक 36/अ–74/2013 –14 दर्ज कर साक्ष्य आदि की विवेचना करने के पश्चात राजस्व अभिलेख एवं नक्शों में सुधार किये जाने के आदेश दिनांक 22–04–2015 को पारित किये गये. अपर कलेक्टर द्वारा अपने उक्त आदेश में यह भी माना कि आवेदिका की आराजियों का जो भाग कम किया गया है उसे मध्यप्रदेश शासन सडक में शामिल कर लिया गया है. अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में तदनुसार संशोंधन किया जा चुका है. तहसीलदार द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही एवं आदेशों का अवलोकन किये बिना तथा उन पर विचार किये बिना विवादित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि पूर्णतः अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है विवादित प्रतिवेदन मौके की स्थिति एवं अभिलेख के विपरीत है. इस कारण ऐसे प्रतिवेदन

के आधार पर की जा रही कार्यवाही अवैध एवं विधि के विपरीत है.

4—अनावेदक शासन की और से पैनल अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन भेजा गया है वह पूर्णत विधि सम्मत है. इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5—प्रतिउत्तर में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है कि अपर क्लेक्टर का आदेश अंतिम हो चुका है क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी है. अतः उपरोक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5— मेरे द्वारा उभय पक्षो के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया गया . अभिलेख के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका की भूमि सर्वे कमांक 171 रकबा 0.696 है0 तथा सर्वे कमांक 172 रकबा 0.049 है जिसे आवेदिका द्वारा वर्ष 1999 मे कय किया गया है. जिसे बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान निर्मित नवीन सर्वे कमांक 493 रकबा 0.540 है0 तथा 494 रकबा 0.030 है0 निर्मित किया गया है उक्त आराजियों में कमशः 0.16 हे0 तथा 0.01 हे. की कमी की गयी है तथा नक्शों में भी तदनुसार कमी की गयी थी जिसे विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात अपर कलेक्टर ने अपने उक्त त्रुटि को सुधार करने के आदेश प्रदान किये गये है. तथा राजस्व निरीक्षक गुनोर द्वारा उक्त आदेश के पालन में दिनांक 14—3—2016 को प्रस्तुत किया जा चुका है. अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य भी मेरे सामने आया कि तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है वह शिकायत के आधार पर की गयी है. तथा अभिलेख के अवलोकन से यह प्रश्न उठता है कि क्या तहसीलदार अपने वरिष्ठ न्यायालय से पारित आदेश के पश्चात उसी बिन्दु पर नवीन प्रकरण कायम कर उसकी वैधता की जॉच कर सकता है, मेरे मत में जब तक वरिष्ठ न्यायालय के आदेश को उससे वरिष्ठ

न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाये तब तक अधिनस्थ न्यायालय पर उक्त आदेश आबद्धकर है. अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में आवेदिका को कोई सुनवायी का मौका नही दिया गया है. उपरोक्त के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही विवादित कार्यवाही अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 एवं तहसीलदार गुनोर द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ–6अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 17–2–2014 के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है. अतः नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 143/बी–121/2015–16 एवं प्रतिवेदन दिनांक 27–07–2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार गुनौर का प्र0क0 8/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 17.2.14 एवं अपर कलेक्टर पन्ना का प्र0क0 36/अ–74/13–14 आदेश दिनांक 22.4.15 जो आज भी स्थिर है दोनों आदेश स्थिर रखे जाते है। परिणामस्वरूप आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त आराजी पर पूर्ण भाग पर नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है । यह निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। प्रकरण दा0 द0 हो।

सर्वस्व